UPSP010162842025

न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश, कक्ष संख्या–12, सहारनपुर।

उपस्थितः– निशान्त देव, उच्चतर न्यायिक सेवा (जे0ओ0कोड–यू.पी.1704)

दाण्डिक पुनरीक्षण संख्या–607 / 2025

तसलीम उर्फ दिल्लू पुत्र शरीफ अहमद निवासी मौहल्ला लुहानी सराय थाना कुतुबशेर, जिला सहारनपुर ।

.....पुनरीक्षणकर्ता / परिवादी ।

बनाम

1– प्रवीन बघेल पुत्र डिगम्बर सिंह जूनियर इंजिनियर विद्युत सब स्टेशन दर्पण टाकिज, थाना कुतुबशेर, जिला सहारनपुर ।
2– उत्तर प्रदेश सरकार ।

.....विपक्षीगण ।

आदेश

पुनरीक्षणकर्ता तसलीम उर्फ दिल्लू द्वारा यह पुनरीक्षण याचिका विद्वान मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, सहारनपुर द्वारा परिवाद सं0–7493 / 2025 तसलीम उर्फ दिल्लू बनाम प्रवीन बघेल आदि में पारित आदेश दिनांकित 24.11.2025 के विरुद्ध योजित की गयी है, जिसके माध्यम से विद्वान मजिस्ट्रेट न्यायालय द्वारा पुनरीक्षणकर्ता / परिवादी का परिवाद धारा–226 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अन्तर्गत निरस्त किया गया।

जिस प्रकरण में विद्वान मजिस्ट्रेट न्यायालय द्वारा पारित प्रश्नगत आदेश के विरूद्ध पुनरीक्षण आवेदन प्रस्तुत किया गया है, उसके सुसंगत तथ्य इस प्रकार है कि परिवादी तसलीम उर्फ दिल्लू द्वारा एक परिवाद विपक्षीगण प्रवीन बघेल आदि के विरुद्ध इन कथनों के साथ प्रस्तुत किया गया था कि मुस्तगीस कबाडी का कारोबारी है। मुस्तगीस व उसका लड़का काम के सिलसिले में सुबह से ही घर से बाहर चले जाते और शाम को घर लौटते हैं। दिनांक 03.04.2025 को समय दिन के करीब एक बजे का था, मुस्तगीस व उसका लड़का काम के सिलसिले में घर से बाहर थे, तो तब ही मुलजिम नं0 1 अपने साथ तीन चार व्यक्तियों के साथ मुस्तगीस के परदे वाले घर में जबरदस्ती घुस आया। उस वक्त मुस्तगीस के घर में केवल घर की महिलायें व जवान लड़कियां थी, घर की महिलाओं ने जब मुलजिम को जबरदस्ती परदे वाले घर में घुसने की बात कही तो इस पर मुलजिम नं0 1 ने अपने साथियों के साथ कहा कि हम बिजली वाले हैं और चैकिंग करेंगे, घर में महिलाओं ने कहा कि बिजली का मीटर घर के बाहर लगा हुआ है, आपको जो देखना हो वो देख लो या आप शाम को आना घर पर हमारे मर्द आ जायेंगे, इतनी बात सुनकर मुलजिम ने अपने अन्य तीन चार साथियों के साथ मुस्तगीस के घर में रखे बिजली के उपकरणों को जबरदस्ती इधर उधर फेंकना व तोड़ फोड़ करने लगे और कहा कि तुम्हारे घर में नम्बर–2 की लाईट जल रही है, जिस पर महिलाओं ने कहा कि हमारे घर में कोई नम्बर दो की लाईट नहीं जल रही है, तो इस पर मुलजिमान ने मुस्तगीस के घर में मौजूद महिलाओं व लड़की अरशी के साथ

बदतमीजी व अभद्र व्यवहार किया और जेल भिजवाने की धमकी देकर चले गये और ये कहा कि अपने आदमियों को हमारे पास भेज देना। शाम को मुस्तगीस व उसका लड़का घर पर आये तो महिलाओं ने उन्हें सारा वाका बताया, तभी मुस्तगीस व उसका लड़का दर्पण टाकिज पर बिजली घर गये, परन्तु मुलजिमान वहां नहीं मिले। दिनांक 14.04.2025 को शाम 3 बजे मुस्तगीस अपने लड़के तंजीम को लेकर दर्पण बिजली घर पर गया, वहां पर अभियुक्त नं0 1 प्रवीन बघेल मोजूद मिला, मुस्तगीस ने अभियुक्त प्रवीन बघेल से कहा कि आप जबरदस्ती परदे वाले घर में हमारी गैर मौजूदगी में क्यों घुसे तो इस पर मुलजिम नं0 1 व अन्य तीन चार साथियों ने मां बहन की गन्दी गन्दी गालियां दी और कहा कि साले बिजली की चोरी करते हो, उपर से अकड़ दिखाते हो, इस पर मुस्तगीस ने कहा कि मेरे घर में कोई नम्बर दो की लाईट नहीं जल रही है, और मैं हर माह बिजली के बिलों का भुगतान करता हूं। इस पर प्रवीन बघेल अभियुक्त व उसके साथियों ने मुस्तगीस को धमकी दी कि चुप चाप या तो हमें 50 हजार रूपये दे दे वरना तेरा 80 हजार रूपये का चालान काटूंगा तथा अभियुक्त व उसके साथियों ने मां बहन की गन्दी गन्दी गालियां दी तथा मुस्तगीस को जान से मारने की नीचत से उस पर हमला किया और यह भी धमकी दी कि मैं पुलिस को बुलाकर तुझे बंद करा दूंगा और मुस्तगीस को अभियुक्तगण ने यह भी कहा कि पुलिस हमारे खिलाफ रिपोर्ट नहीं लिखेगी। मुस्तगीस ने तमाम घटना के बारे में एक प्रार्थना पत्र वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहारनपुर को व अधिशासी अभियंता विद्युत विभाग सहारनपुर को बजरिये रजिस्टरी डाक दिनांक 15.04.2025 को दिया, जिसकी प्रति व रसीद रजिस्टरी हमरिश्ता इस्तगतासा है, जिस पर कोई कार्यवाही न होते देख दावा हाजा दायर किया जा रहा है। इस प्रकरण के गवाहान अरसी, तन्जीम व अन्य हैं। अतः बाद तलबी व तहकीकात मुलजिमान को तदारूक कानूनी दिये जाने की प्रार्थना की गयी।

विद्वान मजिस्ट्रेट न्यायालय के आदेशानुसार उक्त प्रार्थना पत्र को परिवाद के रूप में दर्ज किया गया। परिवादी ने उक्त परिवाद के समर्थन में स्वयं को धारा–223 बी0एन0एस0एस के अन्तर्गत तथा धारा–225 बी0एन0एस0एस0 के अन्तर्गत पी0डब्ल्यू0–1 तनजीम व पी0डब्ल्यू0–2 श्रीमती आयशा को परीक्षित कराया गया।

विद्वान मजिस्ट्रेट न्यायालय द्वारा धारा 223 बी0एन0एस0एस0 के अन्तर्गत विपक्षीगण को नोटिस प्रेषित किये गये। विपक्षी प्रवीन बघेल की ओर से आपत्ति इन कथनों की प्रस्तुत की गयी कि परिवादी द्वारा झूठे तथ्यों के आधार पर परिवाद प्रस्तुत किया गया है। आपत्तिकर्ता लोक सेवक की श्रेणी में आता है। लोक सेवको द्वारा अपने पदीय कर्तव्यों के निर्वहन में किए गए किसी कार्य के सम्बन्ध में, सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति आवश्यक है, लेकिन परिवादी द्वारा आपराधिक कार्यवाही संचालित किये जाने हेतु सक्षम प्राधिकारी से कोई अनुमति प्राप्त नहीं की गई है। प्रार्थी दिनांक 03–04–2025 को न तो परिवादी के घर गया और न ही कोई बिजली की चैकिंग की और न ही परिवादी के घर की महिलाओं के साथ किसी प्रकार की कोई बदतमीजी व अभद्र व्यवहार किया। वास्तविकता यह कि दिनांक 05–04–2025 को समय करीब 11:30 बजे दिन अवर अभियन्ता ओमकार सिंह प्रवर्तन दल सहारनपुर मय पुरूष व महिला कांस्टेबल मय वाहन चालक के विद्युत चोरी की शिकायत के आधार पर विद्युत चैकिंग के दौरान थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर के मौहल्ला ढोलीखाल सहारनपुर में अजीम पुत्र तसलीम के घरेलू परिसर को चैक किया तो उक्त के परिसर पर स्थापित विद्युत मीटर की इनकमिंग केबिल में मीटर से पहले कट लगाकर अन्य केबिल जोड कर घरेलू विद्या

में 1171 वॉट की विद्युत का बिना मीटर के चोरी से प्रयोग करते पाया गया। जिसके सम्बन्ध में अवर अभियन्ता श्री ओमकार सिंह प्रर्वतन दल सहारनपुर द्वारा मौके पर चैकिंग रिपोर्ट तैयार की गई तथा समस्त कार्यवाही के उपरान्त दिनांक 05–04–2025 को ही समय 16:18 बजे थाना एंटी पॉवर थेफ्ट थाना सहारनपुर पर प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 3347/2025 अर्न्तगत धारा 135 विद्युत अधिनियम दर्ज कराया गया। प्रथम सूचना रिपोर्ट व चौकिंग रिपोर्ट की प्रतियां संलग्न हैं। दिनांक 14–04–2025 को परिवादी व उसका लडका न तो परिवादी के कार्यालय आये और न ही आपत्तिकर्ता अथवा अन्य कर्मचारीगण ने परिवादी व उसके लडके के साथ किसी प्रकार की कोई घटना कारित की गई। वास्तविकता यह है कि परिवादी को इनके खिलाफ दिनांक 05–04–2025 को प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज होने की जानकारी होने के बाद परिवादी द्वारा विधिक सलाह प्राप्त कर आपत्तिकर्ता व विभाग पर दबाव बनाने के उद्देश्य से प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज होने से पूर्व दिनांक 03–05–2025 एवं पश्चात् दिनांक 14–04–2025 की झूठी घटना अपने परिवाद पत्र में वर्णित करते हुए झूठे तथ्यों के आधार पर परिवाद पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है। प्रस्तुत परिवाद अपने विरूद्ध दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट में फैसला करने के लिए मात्र दबाव बनाने के उद्देश्य से झूठे तथ्यों के आधार पर प्रस्तुत किया गया है। अतः परिवाद इसी स्तर पर निरस्त किए जाने की प्रार्थना की गयी।

विद्वान मजिस्ट्रेट न्यायालय द्वारा परिवादी की ओर से प्रस्तुत किये गये साक्ष्य अन्तर्गत धारा–223 बी0एन0एस0एस तथा धारा–225 बी0एन0एस0एस के अन्तर्गत परीक्षित कराये गये साक्षीगण के साक्ष्य, विपक्षी की ओर से प्रस्तुत आपत्ति एवं पत्रावली पर उपलब्ध समस्त सामग्री का अवलोकन करने एवं परिवादी व विपक्षी को सुनने के उपरान्त आक्षेपित आदेश दिनांकित 24.11.2025 के माध्यम से परिवादी का उक्त परिवाद धारा–226 बी0एन0एस0एस0 के अन्तर्गत निरस्त कर दिया। इसी आदेश से क्षुब्ध होकर परिवादी द्वारा यह पुनरीक्षण याचिका योजित की गयी है।

उक्त आदेश के विरूद्ध प्रश्नगत पुनरीक्षण निम्न आधारों पर योजित की गयी है कि विद्वान विचारण न्यायालय का विवादित आदेश दिनांकित 24.11.2025 पत्रावली पर आये तथ्यों व विधि के विरुद्ध है तथा विवादित आदेश इस तरह से पारित किया है जैसे पूरा विचारण व पूर्ण साक्ष्य बाद पारित किया जाता है। विद्वान विचारण न्यायालय ने आदेश पारित करते समय अपने न्यायिक मस्तिष्क का उपयोग नही किया है। इस स्तर पर विद्वान निम्न न्यायालय को पुनरीक्षणकर्ता द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य को प्रथम दृष्टया देखना था, ऐसा न करके विद्वान निम्न न्यायालय ने प्रस्तावित अभियुक्त/विपक्षी न.1 द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजो का सूक्ष्मता से परिशीलन करके उसको फायदा पहुंचाने के लिये प्रस्तावित अभियुक्त के साक्ष्य को कनसिडर करके रिविजनिष्ट का परिवाद खारिज किया जो विधि विरूद्ध है। पुनरीक्षणकर्ता ने अपने साक्ष्य अं.धारा 223 व 225 बीएनएसएस के द्वारा अपना पूरा केस प्रथम दृष्टया साबित कर दिया है। अभियुक्त/विपक्षी न. 1 द्वारा जो दस्तावेज अपने बचाव में दाखिल किये है वह किसी भी तरह से पुनरीक्षणकर्ता द्वारा दाखिल किये गये वाद पत्र से मेल नही खाते है। अतः विवादित आदेश दिनांकित 24.11.2025 को निरस्त किया जाकर पुनरीक्षणकर्ता का पुनरीक्षण स्वीकार किये जाने तथा विपक्षी नं0 1 को तलब कर विचारण करने के आदेश पारित किये जाने की याचना की गयी है।

पुनरीक्षण के विरुद्ध विपक्षी सं0–1 प्रवीन बघेल की ओर से आपत्ति इन कथनों की प्रस्तुत की गयी कि विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांकित 24.11. 2025 पत्रावली पर आये तथ्यों एवं विधि के अनुकूल है। जिसमें कोई अवैधानिकता नहीं

है। विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा आपत्तिकर्ता को जो कि एक लोक सेवक है, विधिनुसार सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए प्रश्नगत आदेश पारित किया गया है। बी0एन0एस0एस0 की धारा 223(2) में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि –''कोई मजिस्ट्रेट ऐसे अपराध के लिए लोक सेवक के विरुद्ध परिवाद पर संज्ञान ग्रहण नहीं रकेगा, जो उसके द्वारा अपने पदीय कृत्यों या कर्तव्यों के निर्वहन के दौरान किया जाना अभिकथित है, जब तक कि (क) ऐसे लोक सेवक को उस परिस्थिति के बारे में प्रख्यान करने का अवसर नहीं दिया जाता है, जिसके कारण अभिकथित घटना घटित हुई और (ख) ऐसे लोक सेवल के वरिष्ठ अधिकारी से घटना के तथ्यों एवं परिस्थितियों के अन्तर्विष्ट करने वाली रिपोर्ट प्राप्त नहीं होती है। इसलिए निगरानीकर्ता का यह कथन कि अभियुक्त के साक्ष्य को कनसिडर करके परिवाद खारिज किया गया है, विधि विरुद्ध है, माने जाने योग्य नहीं है। पूर्व में प्रस्तुत आपत्ति में किये कथनों का उल्लेख करते हुए प्रार्थना की गयी कि पुनरीक्षणकर्ता की ओर से प्रस्तुत दाण्डिक पुनरीक्षण निरस्त किया जाये।

पुनरीक्षण पर पुनरीक्षणकर्ता के विद्वान अधिवक्ता, विपक्षी सं0–1 के विद्वान अधिवक्ता व विपक्षी सं0–2 राज्य की ओर से विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (दाण्डिक) को विस्तारपूर्वक सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

पुनरीक्षणकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क प्रस्तुत किया गया है कि विचारण न्यायालय द्वारा तलबी के स्तर पर गहनता से साक्ष्य का विश्लेषण किया गया, जबकि तलबी के स्तर पर मात्र प्रथम दृष्टया वाद देखा जाता है। अपने कथनों के समर्थन में पुनरीक्षणकर्ता की ओर से माननीय उच्चतम न्यायालय की विधि व्यवस्था Fiona Shrikhande vs State of Maharashtra and another AIR 2014 SC 957 प्रस्तुत की गयी है।

विपक्षी सं0–1 प्रवीन बघेल के विद्वान अधिवक्ता व विपक्षी सं0–2 की ओर से विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (दाण्डिक) द्वारा मौखिक रूप से तर्क दिया गया कि विद्वान मजिस्ट्रेट न्यायालय द्वारा पारित आदेश विधि संगत है उसमें कोई त्रुटि नहीं है। उक्त पुनरीक्षण निरस्त किये जाने योग्य है।

दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 397 के अनुसार उच्च न्यायालय या कोई सेशन न्यायाधीश अपनी स्थानीय अधिकारिता के अन्दर स्थित किसी मजिस्ट्रेट दण्ड न्यायालय के समक्ष की किसी कार्यवाही के अभिलेख को, किसी अभिलिखित या पारित किये गये निष्कर्ष, दण्डादेश या आदेश की शुद्धता, वैधता या औचित्य के बारे में और ऐसे मजिस्ट्रेट न्यायालय की किन्हीं कार्यवाहियों की नियमितता के बारे में अपना समाधान करने के प्रयोजन से मंगा सकता है और उसकी परीक्षा कर सकता है। दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 399 के अनुसार ऐसी किसी कार्यवाही के मामले में जिसका अभिलेख सेशन न्यायाधीश ने स्वयं मंगवाया है, वह उन सभी या किन्हीं शक्तियों का प्रयोग कर सकता है, जिनका प्रयोग धारा 401 की उपधारा 1 के अधीन उच्च न्यायालय कर सकता है।

इस प्रकार उपरोक्त धारा के अनुसार पुनरीक्षण की अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह न्यायालय मजिस्ट्रेट न्यायालय के किसी आदेश की शुद्धता, वैधता अथवा औचित्य के बारे में अपना समाधान कर सकता है और इस प्रकरण हेतु अभिलेख मंगा सकता है।

भारत सरकार द्वारा वर्ष 2023 में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023

अधिनियमित की गयी व 01 जुलाई 2024 से दं0प्र0सं0 1973 के स्थान पर सम्पूर्ण भारत में प्रभावी भी की गयी। धारा 223 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अन्तर्गत लोक सेवकों के सम्बन्ध में तलबी हेतु विशेष प्रावधान बनाये गये। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 223(2) के अनुसार, कोई मजिस्ट्रेट ऐसे किसी अपराध के लिए लोक सेवक के विरुद्ध परिवाद पर संज्ञान ग्रहण नहीं करेगा, जो उसके द्वारा अपने पदीय कृत्यों या कर्तव्यों के निवर्हन के दौरान किया जाना अभिकथित है, जब तक–

(क) ऐसे लोक सेवक को उस परिस्थिति के बारे में प्राख्यान करने का अवसर नहीं दिया जाता है, जिसके कारण ऐसी अभिकथित घटना घटित हुई ; और
(ख) ऐसे लोक सेवक के वरिष्ठ अधिकारी से घटना के तथ्यों और परिस्थितियों के अन्तर्विष्ट करने वाली रिपोर्ट प्राप्त नहीं हो जाती है।

विद्वान विचारण न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से यह विदित है कि परिवाद संख्या 7493/2025 में घटना दिनांक 03.04.2025 व 14.04.2025 की होना प्रदर्शित है। आदेश पत्रक के अवलोकन से स्पष्ट है कि विपक्षी सं0 1 जूनियर इंजीनियर, विद्युत सब स्टेशन दर्पण टाकिज थाना कुतुबशेर जिला सहारनपुर को नोटिस प्रेषित किया गया था। जिसके जवाब में उसके द्वारा विस्तृत जवाब प्रस्तुत करते हुए कथन किया गया कि बिजली विभाग की वैध कार्यवाही से क्षुब्ध होकर परिवादी द्वारा झूठा मुकदमा पंजीकृत कराना चाहता है। उसके द्वारा अवैध बिजली चोरी रोकने हेतु की गयी कार्यवाही के कारण झूठा परिवाद पत्र प्रस्तुत किया गया है।

यह तथ्य विधिसंगत है कि तलबी के स्तर पर साक्ष्यों का गहन विश्लेषण नहीं किया जाना चाहिए तथा तलबी हेतु मात्र प्रथम दृष्टया ही वाद देखना चाहिए। किन्तु धारा 223 बी0एन0एस0एस0 की भॉति धारा 175 बी0एन0एस0एस0 में भी लोक सेवकों के सम्बन्ध में विशेष प्रावधान निर्गत किये गये हैं, जो कि दण्ड प्रकिया संहिता, 1973 से भिन्न है । विधायिका ने उक्त प्रावधनों के दुरूपयोग को दृष्टिगत रखते हुए धारा 175 व 223 बी0एन0एस0एस0 में लोक सेवकों के सम्बन्ध में विशेष प्रावधान सन्निविष्ट किये हैं। माननीय उच्चतम न्यायालय ने धारा 175(4) बी0एन0एस0एस0 के समान प्रावधानों के सम्बन्ध में अपने निर्णय **XXX vs State of Kerala 2026 INSC 88** में अवधारित किया है कि लोक सेवकों के सम्बन्ध में धारा 175(4) बी0एन0एस0एस0 में दिये गये प्रावधान आज्ञापक हैं तथा उनका पालन न करना विधिसम्मत नहीं है।

विचारण न्यायालय द्वारा आलोच्य आदेश इस आधार पर पारित किया गया है कि परिवादी द्वारा स्वयं को प्रत्येक माह बिजली के भुगतान करने का कथन किया गया है, किन्तु उसके द्वारा बिजली के बिल की प्रति प्रस्तुत नहीं की गयी है। साथ ही धारा 225 बी0एन0एस0एस0 में परीक्षित कराये गये दोनों साक्षीगण उसके पुत्र व पुत्रवधु हैं। पी0डब्ल्यू0–1 तंजीम घटना दिनांक 14.04.2025 का साक्षी है तथा पी0डब्ल्यू0–2 श्रीमती आयशा घटना दिनांक 03.04.2025 की साक्षी है।

दण्ड प्रकिया संहिता, 1973 के अन्तर्गत की जाने वाली तलबी अं0धारा 204 दं0प्र0सं0 तथा बी0एन0एस0एस0 की धारा 227 के अन्तर्गत की जाने वाली तलबी में भिन्नता है। बी0एन0एस0एस0 के अन्तर्गत अभियुक्त को विचारण हेतु आहूत करने से पूर्व उसे सुनवाई का अवसर दिया जाना आवश्यक है। उसके कथानक तथा परिवादी के कथानक में तुलनात्मक विश्लेषण के उपरांत सम्बन्धित विचारण न्यायालय यदि यह पाता है कि अभियुक्तगण के विरुद्ध विचारण हेतु प्र्याप्त साक्ष्य उपलब्ध हैं, तो वह विचारण हेतु

अभियुक्तगण को आहूत कर सकता है।

प्रस्तुत प्रकरण में अवर न्यायालय द्वारा यह पाया गया कि मात्र अस्पष्ट कथन के आधार पर आपराधिक वाद में किसी को तलब किया जाना उचित नहीं है। उनके द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय की विधि व्यवस्था *Pepsi Foods Ltd. & Anr Vs. Special Judicial Magistrate 1998(5) SCC 749* के आधार पर तलबी हेतु पर्याप्त साक्ष्य न पाने के उपरांत परिवाद को अन्तर्गत धारा 226 बी0एन0एस0एस0 निरस्त किया गया।

माननीय उच्चतम न्यायालय ने अपने निर्णय ***Krishna Lal Chawla Vs. State of U.P. AIR 2021 SC 1381*** में अवधारित किया है कि–

> *The trial courts and the Magistrates have an important role in curbing this injustice. They are the first lines of defence for both the integrity of the criminal justice system, and the harassed and distraught litigant. We are of the considered opinion that the trial courts have the power to not merely decide on acquittal or conviction of the accused person after the trial, but also the duty to nip frivolous litigations in the bud even before they reach the stage of trial by discharging the accused in fit cases. This would not only save judicial time that comes at the cost of public money, but would also protect the right to liberty that every person is entitled to under Article 21 of the Constitution. In this context, the trial Judges have as much, if not more, responsibility in safeguarding the fundamental rights of the citizens of India as the highest court of this land", the bench observed.*

अतः मजिस्ट्रेट न्यायालय के प्रश्नगत आदेश के अवलोकन से स्पष्ट है कि उनके द्वारा परिवाद पत्र, बयान अं0धारा 223 व 225 बी0एन0एस0एस0 तथा विपक्षी के अभिवचनों को दृष्टिगत रखते हुए विवेकाधिकार का उपयोग कर परिवाद पत्र निरस्त किया गया है।

विद्वान मजिस्ट्रेट न्यायालय द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर ही प्रश्नगत आदेश पारित किया है। प्रश्नगत आदेश पारित करने में क्षेत्राधिकार से परे जाकर अथवा निहित क्षेत्राधिकार का प्रयोग न करने का कोई भी तथ्य परिलक्षित नहीं होता है। विद्वान मजिस्ट्रेट न्यायालय के आदेश के परिशीलन से यह भी विदित नहीं होता है कि उन्होंने पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों के विपरीत निष्कर्ष अवधारित करके प्रश्नगत आदेश पारित किया है। जो भी तथ्य व तर्क प्रस्तुत किये गये हैं, उनके परिप्रेक्ष्य में विद्वान मजिस्ट्रेट न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांकित 24.11.2025 विधिसम्मत है।

इस प्रकार उपरोक्त विवेचना के दृष्टिगत विद्वान मजिस्ट्रेट न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किये गये प्रथम दृष्ट्या साक्ष्य के परिप्रेक्ष्य में विद्वान मजिस्ट्रेट न्यायालय के आदेश की शुद्धता, वैधता या औचित्य के बारे में कोई त्रुटि परिलक्षित नहीं होती है तथा प्रश्नगत आदेश में हस्तक्षेप करने का कोई उचित आधार प्रतीत नहीं होता है। अतः पुनरीक्षणकर्ता की ओर से प्रस्तुत दाण्डिक पुनरीक्षण निरस्त किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

पुनरीक्षणकर्ता तसलीम उर्फ दिल्लू की ओर से प्रस्तुत दाण्डिक पुनरीक्षण **निरस्त** की जाती है। विद्वान मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, सहारनपुर द्वारा परिवाद संख्या–7493/2025 तसलीम उर्फ दिल्लू बनाम प्रवीन बघेल आदि के मामले में पारित आदेश दिनांकित 24.11.2025 की पुष्टि की जाती है।

विद्वान मजिस्ट्रेट न्यायालय की पत्रावली सम्बन्धित न्यायालय को इस निर्णय व आदेश की प्रति के साथ अविलम्ब प्रेषित की जाये।

तदोपरान्त पुनरीक्षण पत्रावली आवश्यक कार्यवाही उपरान्त नियमानुसार अभिलेखागार प्रेषित की जाये।

दिनांक–05.06.2026

(निशान्त देव)
अपर सत्र न्यायाधीश,
कक्ष सं0–12, सहारनपुर।
JO Code–UP1704

निर्णय एवं आदेश आज मेरे द्वारा हस्ताक्षरित व दिनांकित होकर खुले न्यायालय में उद्घोषित किया गया।

दिनांक–05.06.2026

(निशान्त देव)
अपर सत्र न्यायाधीश,
कक्ष सं0–12, सहारनपुर।
JO Code–UP1704